न्यूज़ टुडे

भारत ने पेरिस मंत्रिस्तरीय बैठक में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया

पेरिस में WTO के 25 सदस्य देशों की उच्च-स्तरीय लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने **WTO के आधुनिकीकरण के लिए भारत का विज़न** प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यापारिक विकृतियों को दूर करने और बहुपक्षीय-गवर्नेंस को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

निष्कर्ष

पेरिस में WTO में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की मुखर भूमिका यह दर्शाती है कि वह **बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को फिर से बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध** है। भागीदार देशों के बीच WTO को मजबूत करने, इसकी **मूलभूत नीतियों का सम्मान** करने और वैश्विक व्यापार संवृद्धि को बढ़ावा देने का सामूहिक संकल्प वास्तव में WTO की मौजूदा व्यवस्था के भीतर व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

भारत के प्रस्ताव	WTO की कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याएं
गैर-प्रशुल्क बाधाओं से निपटना	सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, तकनीकी मानकों का पालन, एंटी-डंपिंग मामले, आयात कोटा निर्धारित करना, आयात लाइसेंस जैसे कदम उत्पादों को दूसरे देश के बाजारों में पहुंचने से रोकते हैं। ➤ उदाहरण के लिए: यूरोपीय संघ द्वारा भारत के **गैर-बासमती पारबॉइल्ड राइस के लिए मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल (MRL)** तय करना।
गैर-बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न की गई विकृतियों का समाधान	कई देशों की सरकारें **बाजार में हस्तक्षेप करके प्रतिस्पर्धा को प्रभावित** करती हैं और कुछ घरेलू हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पक्षपातपूर्ण कदम उठाती हैं। ➤ उदाहरण के लिए: चीन द्वारा **दुर्लभ भू-तत्वों (रेयर अर्थ) के निर्यात पर कोटा** लागू करना।
WTO विवाद निपटान प्रणाली की पुनर्बहाली	संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। इसकी वजह से 2019 से यह अपीलीय निकाय निष्क्रिय है। ➤ भारत ने **'बहु-पक्षीय अंतरिम अपील माध्यस्थम व्यवस्था' (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement: MPIA)** जैसे वैकल्पिक तंत्र की स्थापना का विरोध किया है।
WTO के दायरे में प्लुरिलेटरल विषयों को लाने का विरोध	**प्लुरिलेटरल पहलों या समझौतों पर WTO** के तहत सभी सदस्य देशों की बजाय कुछ सदस्य देशों द्वारा ही वार्ता की जाती है। भारत ऐसी पहलों का विरोध करता रहा है। ➤ उदाहरण के लिए: **विकास के लिए निवेश सुविधा (IFD)** प्लुरिलेटरल पहल है जिसका भारत व दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों ने विरोध किया है।
WTO के अधिकार-क्षेत्र का पारंपरिक व्यापार विषयों से परे विस्तार करने का विरोध	WTO की वार्ताओं में गैर-व्यापार मुद्दे उठाने से मतभेद और अधिक गहराएंगे। ➤ उदाहरण के लिए: **यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स का भारत** विरोध कर रहा है।

सुरक्षा बलों ने भारत-म्यांमार सीमा पर अभियान शुरू किए

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सुरक्षा बलों ने **अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों की गतिविधियों** के बारे में सूचना मिलने के बाद **अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अभियान शुरू** किए।

भारत के पूर्वोत्तर में सीमा-पार सुरक्षा संबंधी खतरे

- **विद्रोही गतिविधियां:** कई विद्रोही गुटों (जैसे- NSCN-K, ULFA (I), PLA और NDFB) ने **प्रशिक्षण, संगठन को मज़बूत बनाने एवं भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए म्यांमार को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल** किया है।
- **जातीय संघर्ष और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या:** म्यांमार में **राजनीतिक उथल-पुथल**, विशेष रूप से **2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद** शरणार्थियों (विशेष रूप से चिन और रोहिंग्या जैसे नृजातीय समूहों) **का आगमन बढ़ा** है। इससे पूर्वोत्तर भारत में **कानून और व्यवस्था से जुड़ी समस्या उत्पन्न** हुई है तथा संसाधनों पर दबाव पड़ा है, जिससे स्थानीय आक्रोश में वृद्धि हुई है।
- **हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी: गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार-लाओस-थाईलैंड)** से म्यांमार के माध्यम से मणिपुर एवं मिजोरम में ड्रग्स का प्रवेश, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाता है। गोल्डन ट्रायंगल भारत में हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी का एक प्रमुख स्रोत है।

इन खतरों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **कानून और नीतियां:** अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू किया गया है; म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म किया गया है आदि।
- **आतंकवाद-रोधी अभियान:** सीमा-पार के विद्रोही शिविरों को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना और म्यांमार सेना द्वारा संयुक्त अभियान (ऑपरेशन सनराइज) चलाये जा रहे हैं; मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)** द्वारा सक्रिय अभियान संचालित किए जा रहे हैं आदि।
- **सीमा अवसंरचना और निगरानी:** कॉम्प्रिहेंसिव इंटिग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (CIBMS) के अंतर्गत स्मार्ट बाड़ लगाना, सीमा चौकियों को मजबूत करना आदि।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के 5 वर्ष पूरे हुए

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर **"स्थिर, सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा विज़न"** को दोहराया। यह विज़न दोनों देशों के आपसी सहयोग का मार्गदर्शन करता है।

- दोनों देशों ने **ऑस्ट्रेलिया-भारत संयुक्त अनुसंधान परियोजना** पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। साथ ही, दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के तहत सहयोग के मुख्य क्षेत्र

विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान सहयोग: उदाहरण के लिए- **कोविड-19 से निपटने पर ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान निधि** की स्थापना की गई है।	**खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए सामुद्रिक सहयोग:** दोनों देश **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)** का समर्थन करते हैं।	**रक्षा सहयोग:** इसके उदाहरण हैं- पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सहायता समझौता, 2+2 वार्ता आदि। **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), संयुक्त राष्ट्र** जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।
आतंकवाद: उदाहरण के लिए- दोनों देश **'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)'** को शीघ्र अपनाने का समर्थन करते हैं।	**आर्थिक सहयोग:** जैसे-दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA)।	**अन्य:** लोगों के बीच संपर्क, कृषि क्षेत्रक में सहयोग आदि।

भारत-ऑस्ट्रेलिया 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)' के बारे में:

- वर्ष 2020 में, दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को **'रणनीतिक साझेदारी' से 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)'** में अपग्रेड करने का निर्णय लिया था।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों में भारत-ऑस्ट्रेलिया CSP कैसे सहायक है?

- **स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में:** संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ **भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड (QUAD)** के सदस्य हैं। इस तरह दोनों देश समुद्री सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहयोग कर सकते हैं।
  - दोनों देश **AUSINDEX और मालाबार** जैसे सैन्य अभ्यासों में भागीदारी से आपसी तालमेल तथा नौ-सैनिक सहयोग को बढ़ा सकते हैं।
- **रणनीतिक व आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाना: आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA), आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (जापान के साथ)** जैसी पहलों से दोनों देश व्यापार का विस्तार कर सकते हैं।
- **बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों में सहभागिता:** दोनों देश **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन** जैसे मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।

भारत ने 8वें GPDRR 2025 में विश्व की सबसे बड़ी 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्त-पोषण प्रणाली' का प्रदर्शन किया

8वें वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (GPDRR) 2025 का आयोजन जिनेवा में किया गया है। इसमें भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्त-पोषण प्रणालियों की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक **समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र की कमी को उजागर** किया।

- इस संबंध में भारत ने एक वैश्विक सुविधा की स्थापना का आह्वान किया, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा समर्थित हो। यह सुविधा **उत्प्रेरक वित्त-पोषण, तकनीकी सहायता और ज्ञान साझा** करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।

CDRI के बारे में

आरम्भ	CDRI भागीदारी	उद्देश्य	सचिवालय
इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (2019) में भारत द्वारा शुरू किया गया था।	CDRI एक वैश्विक साझेदारी है। इसमें देश, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्रक शामिल हैं।	जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों की अवरोधन क्षमता को बढ़ावा देना, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।	नई दिल्ली (भारत)

भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्त-पोषण प्रणाली

- **भारत का दृष्टिकोण:** भारत लचीलेपन की आधारशिला के रूप में एक मजबूत और उत्तरदायी DRR वित्त-पोषण संरचना का समर्थन करता है।
- **DRR वित्त-पोषण में भारत की प्रगति:**
  - **प्रारंभिक आवंटन:** प्रारंभिक **वित्त आयोगों द्वारा 6 करोड़ रुपये (लगभग 0.7 मिलियन डॉलर) का आवंटन** किया गया था।
  - **वर्तमान आवंटन:** 15वें वित्त आयोग के तहत यह राशि **2.32 ट्रिलियन रुपये (लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक** हो चुकी है।
- **DRR वित्तीय तंत्र:** भारत एक **पूर्व-निर्धारित व नियम-आधारित आवंटन प्रणाली** का पालन करता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर से राज्य और जिला स्तर तक धन प्रवाह सुनिश्चित होता है। यह प्रणाली **2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम** द्वारा समर्थित है।
  - इस बदलाव ने यह सुनिश्चित किया कि आपदा के समय की वित्तीय सहायता अब असंगठित और प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि संरचित एवं पूर्वानुमान योग्य है।
- **भारत का DRR वित्त-पोषण दृष्टिकोण चार प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है:**
  - **पहला-** तैयारी, शमन, राहत और पुनर्प्राप्ति के लिए समर्पित वित्तीय प्रावधान।
  - **दूसरा-** प्रभावित लोगों और कमजोर समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना।
  - **तीसरा-** वित्तीय संसाधनों की सभी सरकारी स्तरों यथा- केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  - **चौथा-** उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सभी खर्चों का मार्गदर्शन करने वाले मापने योग्य परिणाम।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अफ्रीकी संघ** आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) का **54वां** सदस्य बना।
- यह घोषणा **जेनेवा में आयोजित 8वें GPDRR 2025** के दौरान की गई।
- **GPDRR के बारे में (2006 में स्थापित)**
  - GPDRR, 2025 की थीम है: **"एवरी डे काउंट्स, एक्ट फॉर रेसिलियंस टुडे"**
  - यह एक वैश्विक मंच है, जहां प्रतिभागी आपदा जोखिम को कम करने में हुई प्रगति की समीक्षा करते हैं, नया ज्ञान साझा करते हैं, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करते हैं और हालिया प्रगतियों एवं रुझानों पर चर्चा करते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने GPDRR को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में मान्यता दी है।

भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) आधिकारिक तौर पर लागू हुई

भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर **जून 2019 में हस्ताक्षर** किए गए थे और **यह संधि 5 जून, 2025 से लागू** हो गई है।

- नई द्विपक्षीय निवेश संधि ने वर्ष **2000 में लागू हुई संधि की जगह** ली है। इस तरह यह नई संधि **दोनों देशों के बीच निवेश की सुरक्षा की निरंतरता** सुनिश्चित करेगी।

भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में

- यह संधि **दोनों देशों के निवेशकों के अधिकारों और दोनों देशों की अपनी-अपनी संप्रभु विनियामक शक्तियों के बीच संतुलन** सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह **मजबूत और पारदर्शी निवेश परिवेश** के निर्माण के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
- **द्विपक्षीय निवेश संधि के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **परिसंपत्ति की परिभाषा:** इसमें **उद्यम-आधारित परिभाषा** को अपनाया गया है। साथ ही, इसमें **किन परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा और किन्हें बाहर** रखा जाएगा, उन्हें भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, इसमें निवेश की प्रकृति भी स्पष्ट की गई है – जैसे **पूंजी प्रतिबद्धता, लाभ की अपेक्षा, जोखिम वहन करना**, आदि।
  - **नीतिगत दायरे से बाहर रखना: स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद, कराधान, अनिवार्य लाइसेंस** आदि को संधि के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि दोनों देशों द्वारा नीति-निर्माण की स्वतंत्रता बनी रहे।
  - **सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) खंड को हटा दिया गया है:** पहले यह प्रावधान निवेशकों को होस्ट देश की अन्य देशों के साथ संधियों की अनुकूल शर्तें चुनने की अनुमति देता था।
    - इस प्रावधान के हटाए जाने से सभी निवेशकों के साथ समान और व्यवस्थित व्यवहार किया जाएगा।
  - **संधि में सामान्य एवं सुरक्षा अपवाद भी शामिल किए गए हैं:** इन अपवादों के ज़रिए संधि में शामिल देशों को नीति निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
    - **संधि के सामान्य अपवाद के उदाहरण हैं:** पर्यावरण की सुरक्षा, जनस्वास्थ्य एवं सेफ्टी सुनिश्चित करना आदि।
  - **संशोधित विवाद समाधान तंत्र:** निवेशकों को पहले **स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग** करना होगा। इनसे संतुष्ट नहीं होने पर ही वे **अंतर्राष्ट्रीय पंचाट (Arbitration)** का रुख कर सकते हैं। इससे **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा** मिलेगा।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) क्या है?

- **परिभाषा:** इसे **अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौता (IIA)** भी कहा जाता है। यह विदेशी निवेशकों को यह आश्वासन प्रदान करती है कि उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उपायों से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही राष्ट्रों को **संप्रभु नीति-निर्माण की स्वतंत्रता** भी प्राप्त होती है अर्थात वे स्वतंत्र रूप से नीतियां बना सकते हैं।
- ये समझौते **निवेशक या उनके देश को होस्ट देश (जहां निवेश किया गया है) के खिलाफ निवेश विवादों को लेकर मुकदमा दायर करने का अधिकार** भी देते हैं।
- भारत ने **2015 में द्विपक्षीय निवेश संधि का नया मॉडल टेक्स्ट** स्वीकृत किया था। यह **मॉडल 1993** के मॉडल के स्थान पर लागू किया गया है।
- **2015 से भारत ने इन देशों के साथ नई द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं:** उज्बेकिस्तान (2024), संयुक्त अरब अमीरात (2024), ब्राजील (2020), बेलारूस (2018) आदि।

अन्य सुर्ख़ियां

इंडेक्स कार्ड

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी डेटा की रिपोर्टिंग को अधिक कुशल बनाने के लिए एक सरल, तकनीक-संचालित प्रणाली शुरू की है।

- यह प्रणाली **इंडेक्स कार्ड** और सांख्यिकीय रिपोर्ट्स को स्वतः तैयार करेगी। इस तकनीक ने **पहले के मैनुअल और समय लेने वाले तरीकों की जगह** ली है।

इंडेक्स कार्ड के बारे में:

- **विवरण:** इंडेक्स कार्ड एक **गैर-वैधानिक और चुनावोत्तर सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रारूप** है। इसे निर्वाचन आयोग ने स्वतः पहल करते हुए विकसित किया है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर चुनावी डेटा को शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, नीति-निर्माताओं और आम जनता जैसे हितधारकों के लिए सहज और सुलभ बनाना है।
- यह प्रणाली **उम्मीदवारों की सूची, मतदाता और प्राप्त वोट, पार्टी और उम्मीदवार का मत प्रतिशत, पुरुष-महिला मतदान पैटर्न**, क्षेत्रीय मतदान पैटर्न, आदि साझा करेगी।
- **महत्त्व:** यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ावा देगी और चुनाव का गहन शोध करने में सहायक साबित होगी। इससे सजग और सूचित लोकतांत्रिक विचार-विमर्श को बल मिलेगा।

राफेल

डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच हुए समझौते के तहत **भारत में राफेल लड़ाकू विमान के फ्यूसेलाज का निर्माण** किया जाएगा।

- **भारत फ्रांस के बाद पहला देश** बन जाएगा, जहाँ राफेल का **फ्यूसेलाज** निर्मित होगा।
- **फ्यूसेलाज:** यह विमान का केंद्रीय संरचनात्मक भाग होता है, जिसमें मुख्य घटक स्थित होते हैं।

राफेल विमान के बारे में:

- **प्रकार:** यह **ट्विन-जेट वाला 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान** है।
- **4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमानों की विशेष क्षमताएं निम्नलिखित हैं:**
  - रडार की पकड़ में कम आना,
  - **सुपरक्रूज़ की क्षमता** (बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता)
  - सभी गति स्तरों पर दिशा बदलने की क्षमता।
- भारतीय वायु सेना पहले से **36 राफेल जेट का परिचालन** कर रही है। भारतीय नौसेना **2030 तक 26 राफेल मरीन जेट्स** को शामिल करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

इजरायल के खिलाफ जांच शुरू करने को लेकर **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)** के न्यायाधीशों पर **संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं**। इससे **अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं न्याय के क्षेत्र में नया तनाव** उत्पन्न हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में:

- स्थापना: ICC की स्थापना 2002 में रोम संविधि (Rome Statute) के तहत की गई थी।
- **मुख्यालय:** द हेग (नीदरलैंड)।
- **अधिकार क्षेत्र:** ICC का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार के अपराधों तक सीमित है:
  - नरसंहार (Genocide)
  - युद्ध अपराध (War Crimes)
  - मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Humanity)
  - आक्रामकता का अपराध (Crime of Aggression)
- यह **केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, देशों या समूहों पर नहीं।**
- **सदस्यता स्थिति:** भारत ICC का सदस्य नहीं है।

राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल

पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया।

राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में

- **समग्र अपशिष्ट ट्रैकिंग:** यह पोर्टल कचरा बीनने वालों से लेकर अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान तक संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को ट्रैक करता है।
- **राष्ट्रव्यापी डेटा एक्सेस:** देशभर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन डेटा इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे बेहतर योजना बनाने और अपशिष्ट प्रबंधन में मदद मिलेगी।

अरावली ग्रीन वॉल परियोजना

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के अंतर्गत **अरावली पर्वत-श्रेणी में वनीकरण के महत्व को रेखांकित** किया।

- उन्होंने यह भी घोषणा की कि **अरावली पर्वत-श्रेणी और उससे बाहर किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों को "मेरी LiFE पोर्टल" पर जियो-टैग** कर निगरानी की जाएगी।

अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में:

- यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा **ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण की व्यापक दृष्टि** का हिस्सा है। इसका लक्ष्य **भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोकना** है।
- इस परियोजना के तहत **अरावली पर्वत श्रेणी में 700 किमी लंबी एक सतत ग्रीन बेल्ट** (लगभग 5 किमी चौड़ा बफर ज़ोन) बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
  - **अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में** से एक है। यह **गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली** तक विस्तृत है।
- **परियोजना के प्रमुख उद्देश्य:**
  - थार के मरुस्थल के पूर्व की ओर होने वाले विस्तार को रोकना
  - कार्बन पृथक्करण
  - संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD), जैव-विविधता कन्वेंशन (CBD), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) जैसे समझौतों के प्रति भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान देना।

भारतीय माध्यस्थम परिषद (Indian Council of Arbitration: ICA)

लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान सप्ताह (LIDW) 2025 के दौरान, भारतीय माध्यस्थम परिषद (ICA) ने **"भारत-यूनाइटेड किंगडम वाणिज्यिक विवादों में माध्यस्थम"** विषय पर अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

भारतीय माध्यस्थम परिषद (ICA) के बारे में:

- **परिचय:** ICA भारत की प्रमुख माध्यस्थम संस्था है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी।
- **वैधानिक स्थिति:** यह संस्था **सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860** के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करती है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली में। भारत में **इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं**।
- **उद्देश्य:** व्यावसायिक विवादों का शीघ्र, वहनीय और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - ICA कम लागत पर और प्रभावी तरीके से आर्बिट्रेशन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
  - यह विशेष रूप से सामुद्रिक माध्यस्थम (Maritime Arbitration) में विशेषज्ञता रखती है।
  - ICA, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

फ्यूज़ेरियम ग्रैमिनियरम

हाल ही में, एक चीनी नागरिक पर साजिश रचने और एक **शक्तिशाली रोगज़नक़ पादप 'फ्यूज़ेरियम ग्रैमिनियरम'** की तस्करी करके अमेरिका ले जाने का आरोप लगा है। इस घटना ने कृषि-आतंकवाद संबंधी चिंताओं में बढ़ोतरी की हैं।

- **कृषि-आतंकवाद** का अर्थ है **कृषि को नष्ट करने के लिए जानबूझकर जैविक एजेंटों का उपयोग करना।**

फ्यूज़ेरियम ग्रैमिनियरम के बारे में

- यह एक **असोमाइसीटस कवक** है जो गेहूं, जौ, चावल और ओट्स जैसी अनाज फसलों में **फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट (FHB)** रोग फैलाता है।
- यह न केवल **फसल की पैदावार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है,** बल्कि अनाज को माइकोटॉक्सिन से भी प्रदूषित करता है, जो पशुओं और मनुष्यों दोनों के लिए खतरनाक है।

जैव-आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक फ्रेमवर्क

- **बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन (BWC):** 1975 में प्रभाव में आया।
- **ऑस्ट्रेलिया समूह:** यह एक अनौपचारिक समूह है, जो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण कानूनों का समन्वय करता है।

ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य

तमिलनाडु ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है।

ग्रेटर फ्लेमिंगो (फोनीकोप्टेरस रोजेस) के बारे में:

- **IUCN स्थिति:** लीस्ट कंसर्न।
- **वितरण:** अफ्रीका, पश्चिमी एशिया (भारत), और दक्षिणी यूरोप।
- **पर्यावास:** यह प्रजाति उथली लवणीय या क्षारीय आर्द्रभूमि में प्रजनन करती है।
- **विशेषताएं:** जब ग्रेटर फ्लेमिंगो का प्रजनन का मौसम नहीं होता, तब यह पक्षी दूर तक यात्रा करता है। हालांकि, यह **फिलोपेट्रिक** है, यानी बार-बार उसी स्थान पर लौटता है या उसके आस-पास ही रहता है जहां इसे प्रजनन करना होता है।
- **गुजरात के विशाल कच्छ के रण में कच्छ मरुस्थलीय वन्यजीव अभयारण्य एक अनोखा संरक्षित क्षेत्र है, जो दक्षिण एशिया में ग्रेटर फ्लेमिंगो का एकमात्र प्रजनन स्थल** है। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "फ्लेमिंगो सिटी" के रूप में प्रसिद्ध है।

NAMASTE/ नमस्ते योजना

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने **NAMASTE/नमस्ते योजना** के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल एप्लिकेशन 'वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप' लॉन्च किया।

नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना के बारे में

- **लॉन्च:** इसे 2023-24 में **एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** के रूप में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण तरीके से सफाई में लगे लोगों को औपचारिक रूप देना और उनका पुनर्वास करना।
- **संयुक्त कार्यान्वयन:** यह योजना **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा लागू की जा रही है।
  - **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)** सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (SSW) के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- जून 2024 में इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें कचरा बीनने वाले लोगों को भी शामिल किया गया।